

प्रेषक,

आयुक्त,

कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार,

नई दिल्ली।

पत्रांक:सी०/२०५५६२ / एन०ओ०सी०/२०१८-१९

दिनांक २७-०६-२०१८

विषय:-एम०डी०एम० पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:१९१६/१५-७-०९-०१(२९९)/२००७ दिनांक १४-०७-२००९ द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक २७-०६-२०१८ में लिए गये निर्णयानुसार एम०डी०एम० पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

१. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
२. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
३. विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
४. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
५. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
६. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
७. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
८. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Principal
M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)

MANAGER
MDM PUBLIC SCHOOL
KNOWLEDGE PARK, PLOT NO.-52
CHHATMARA, KANPUR-NAGAR
(UP) -PIN-209402

9. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और उक्त प्रतिबन्धों को सोसाइटी के चार्टर में समाविष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, साथ ही यदि कोई तथ्य छिपा हुआ पाया जाता है तो प्रदत्त अनापाते प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय
27/06/18
(सुभाष चन्द शर्मा)

आयुक्त
कानपुर मण्डल, कानपुर

उ0स0री0 / 2055-62 / 2018-19 तददिनींक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
5. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्धक/सचिव, एम0डी0एम0 पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर।
7. गार्ड फाइल।

27.6.18
(के0के0 गुप्ता)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
कानपुर मण्डल, कानपुर

MANAGER
MDM PUBLIC SCHOOL
KNOWLEDGE PARK, PLOT NO.-52
CHHATMARA, KANPUR-NAGAR
(UP) -Pin-209402

Principal
M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)